रजिस्ट्री सं. डी. (डी.एन.)-127

REGISTERED NO. D. (D.N.) 127

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 600] नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 15, 1989/कार्तिक 24, 1911
No. 600] NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 15, 1989/KARTIKA 24, 1911

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

जल-भूतल परिवहन मंत्रालय

(पत्तन पक्ष)

अधिसूचना

नई दिल्ली 15 नवम्बर, 1989

सा. का. नि 1009(अ).—केन्द्र सरकार महापत्तन न्यास अधिनियम, 1963 (1963 का 38) की धारा 132 की उपधारा (1) के साथ पठित धारा 124 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, बम्बई पत्तन न्यासी मंडल द्वारा बनाए गए और इस अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची में मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1989 का अनुमोदन करती है।

2. उक्त विनियम, इस अधिसूचना के सरकारी राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

[फा स. पी. आर.-12016/10/89-पीई I]
एम एन. कक्कड़, संयुक्त सचिव

अनुसूची

मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1989

प्रमुख बन्दरगाह विश्वस्त अधिनियम 1963 की धारा 28 के खण्ड (बी) द्वारा प्रदत्त अधिकारों का उपयोग करते हुए तथा कथित अधिनियम की धारा 124(1) के अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के अनुमोदन से मुंबई बंदरगाह का विश्वस्त मंडल मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि विनियम में अधिक संशोधन करने के लिए निम्न विनियम बनाता है—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.

इन विनियमों को मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि (संशोधन) विनियम, 1989 कहा जाएगा।

2. मुंबई पोर्ट ट्रस्ट भविष्य निधि विनियमों के विनियम 18(1) के स्थान पर निम्न संशोधित विनियम प्रतिस्थापित किया जाएगा—

"18(1) अंशदाता के खातें में उसके नाम पर जमा राशि देय होने से पहले अथवा राशि देय हो गई हो पर उसका भुगतान करने से पहले यदि अंशदाता की मृत्यु हो जाए, तो :

(1) जब अंशदाता के पीछे परिवार हो—

(ए) विनियम 17 के प्रावधानों के अनुसार अंशदाता द्वारा उसके परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों के नाम किया गया नामांकन उपलब्ध हो, तो निधि में उसके नाम जमा राशि अथवा उसका नामांकन से संबंधित हिस्सा नामित व्यक्ति अथवा नामित व्यक्तियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट पद्धति से देय होगा।

(बी) यदि अपने परिवार के सदस्य अथवा सदस्यों के पक्ष में अंशदाता द्वारा किया गया ऐसा कोई नामांकन उपलब्ध नहीं हो अथवा यदि ऐसा नामांकन अंशदाता के नाम निधि में जमा कुल राशि के कुछ ही हिस्से से संबंधित हो, तो परिवार सदस्य अथवा सदस्यों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के पक्ष में होने वाले नामांकन के उपरांत भी पूर्ण राशि अथवा नामांकन से संबंधित न होने वाली राशि—जैसे मामला हो—परिवार सदस्यों में ही समान हिस्सों में देय होगी, बशर्ते कि कोई हिस्सा निम्न को देय नहीं होगा।

(1) सज्ञान बेटे,

(2) मृत बेटे के सज्ञान बेटे,

(3) जिनके पति जीवित है ऐसी विवाहित बेटियां,

(4) मृत बेटे की ऐसी विवाहित बेटियां जिनका पति जीवित है,

यदि उक्त (1), (2), (3) और (4) में विनिर्दिष्ट पात्रों के अलावा परिवार का अन्य कोई भी सदस्य हो :

आगे यह भी व्यवस्था है कि मृत बेटे की विधवा अथवा विधवायें और उसका बच्चा या बच्चे केवल उसी राशि के दावा हकदार होंगे जो राशि अंशदाता के बाद जीवित रहना, हो, और प्रथम परंतुक (प्रोविजो) की शर्तें (1) के प्रावधानों से छूट मिलती है, तो उस बेटे को देय होती।

(ii) यदि अंशदाता के पीछे कोई परिवार नहीं है—

(ए) विनियम 17 के प्रावधानों के अनुसार अंशदाता द्वारा किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों के नाम किया गया नामांकन उपलब्ध हो, तो निधि में उसके नाम जमा राशि अथवा जितनी राशि नामांकन से संबंधित है, वह राशि नामित व्यक्ति अथवा व्यक्तियों को नामांकन में विनिर्दिष्ट प्रकार से देय होगी।

(बी) यदि विनियम 17 के प्रावधानों के अनुसार अंशदाता ने अपने परिवार सदस्य अथवा सदस्यों के अलावा अन्य किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के पक्ष में किया गया नामांकन उपलब्ध नहीं है, तो निधि में उसके नाम जमा राशि निम्न प्रकार देय होगी :

(1) यह राशि पांच हजार रुपये से अधिक न हो तब लेखा विभाग की दृष्टि से इस राशि के सही हकदार को।

(2) अगर यह राशि पांच हजार रुपये से अधिक हो, तो "प्रोबेट", अथवा "लेटर्स ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन अथवा "सक्सेशन सर्टिफिकेट" प्रस्तुत करने वाले किसी व्यक्ति को।

MINISTRY OF SURFACE TRANSPORT

(Ports Wing)

NOTIFICATION

New Delhi, the 15th November, 1989

G.S.R. 1009 (E). –In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 124, read with sub-section (1) of Section 132 of the Major Port Trusts Act, 1963 (38 of 1963), the Central Government hereby approves the Bombay Port Trust Provident Fund (Amendment) Regulations, 1989 made by the Board of Trustees for the Port of Bombay and set out in the Schedule annexed to this notification.

2. The said regulations shall come into force on the date of publication of this notification in the Official Gazette.

[F. No. PR-12016/10/89-PE. I]
S.N. KAKAR, Jt. Secy.

SCHEDULE

Bombay Port Trust Provident Fund

(Amendment) Regulations, 1989

In exercise of the powers conferred by Clause (b) of section 28 of the Major Port Trusts Act, 1963, and with the approval of the Central Government under section 124(1) of the said Act, the Board of Trustees of the Port of Bombay hereby make the following regulations further to amend the Bombay Port Trust Regulations of the Provident Fund, namely :-

1. Short title and commencement: These regulations may be called the Bombay Port Trust Provident Fund (Amendment) Regulations, 1989.

2. In the Bombay Port Trust Regulations of the Provident Fund, Regulation 18(1) shall be substituted with the amended Regulation, namely:

"18(1) On the death of subscriber before the amount standing to his credit has become payable,

or where the amount has become payable, before payment has been made:

(i) When the subscriber leaves a family --

(a) if a nomination made by the subscriber in accordance with the provisions of Regulation 17 in favour of a member or members of his family subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

(b) if no such nomination in favour of a member or members of the family, of the subscriber subsists, or if such nomination relates only to a part of the amount standing to his credit in the Fund, the whole amount or the part thereof to which the nomination does not relate, the case may be, shall, notwithstanding any nomination purporting to be in favour of any person or persons other than a member or members of his family, become payable to the members of his family in equal shares:

Provided that no share shall be payable to—

(1) sons who have attained majority;

(2) sons of a deceased son who have attained majority;

(3) married daughters whose husbands are alive;

(4) married daughters of a deceased son whose husbands are alive;

If there is any member of the family other than those specified in clauses (1), (2), (3) and (4):

provided further that the widow or widows and child or children of a deceased son shall receive between them in equal parts only the share which that son would have received if he had survived the subscriber and had been exempted from the provisions of clause (1) of the first proviso.

(ii) When the subscriber leaves no family—

(a) if a nomination made by him in accordance with the provisions of Regulation 17 in favour of any person or persons subsists, the amount standing to his credit in the Fund or the part thereof to which the nomination relates, shall become payable to his nominee or nominees in the proportion specified in the nomination.

(b) if no such nomination is made by him in accordance with the provisions of Regulation (17) in favour of any person or persons other than a member or members of his family, the amount standing to his credit in the fund shall become payable:

(i) if the amount does not exceed rupees five thousand to any person appearing to the Accounts Department to be entitled to receive it;

(ii) if the amount exceeds rupees five thousand, to any person who produces Probate or Letters of Administration or Succession Certificate.

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, New Delhi-110064
and published by the Controller of Publications, Delhi-110054, 1989